

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला  
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 679/15

संस्थापन दिनांक :- 27/10/15

फाईलिंग नं. 315/2015

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

रूपेश पिता मदन मोहन शर्मा, उम्र 38वर्ष  
निवासी राम मंदिर की चाल आमला,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- ( नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 25.04.2018 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 13.10.2015 को समय 10:20 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार बका जिसकी लंबाई 1 फिट 7 इंच, चौड़ाई 3 इंच 1 सेमी. को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 13.10.2015 को प्रधान आरक्षक अनिल शर्मा को थाने पर सूचना मिली कि अभियुक्त बस स्टैंड आमला में एक लोहे का बक्का हाथ में लेकर डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में लोहे का बक्का लेकर आने जाने वाले लोगों एवं दुकानदारों को गाली गुप्तार कर रहा था। जिसे उसने गवाहों के समक्ष पकड़ा तथा अभियुक्त से लोहे का हथियार जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 552/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 13.10.2015 को समय 10:20 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार बका जिसकी लंबाई 1 फिट 7 इंच, चौड़ाई 3 इंच 1 सेमी. को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

### **।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

5 अनिल शर्मा (अ.सा.-5) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 13.10.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए जरिए टेलीफोन से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं हमराह साक्षी के साथ बस स्टैंड आमला पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे का धारदार बका लेकर आने जाने वाले राहगीरों को गाली गुप्तार कर डराते धमकाते मिला, जिस पर उसने अभियुक्त को रहागीर गवाह एवं हमराह स्टाफ की मदद से पकड़ा से एवं अभियुक्त द्वारा हथियार रखने के संबंध में संतोषजनक उत्तर न देने पर उसने गवाहों के समक्ष अभियुक्त से एक लोहे का धारदार बका जप्त कर उसे सीलबंद कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर वापसी सान्हा क्र. 11 पर वापसी दर्ज कर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) लेख की थी। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है।

6 साक्षी पंचमसिंह उइके (अ.सा.-3) एवं प्रीतम सिंह (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 13.10.2015 को थाना आमला में पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को थाने पर सूचना प्राप्त होने पर बस स्टैंड आमला जाना जहां अभियुक्त हाथ में छुरा लेकर लोगों को डरा धमका रहा था जिसे मौके पर घेराबंदी कर पकड़ना तथा अभियुक्त से जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाना बताया है।

7 भानू (अ.सा.-1) एवं बंटी (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षीगण ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।

8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी भानू (अ.सा.-1) एवं बंटी (अ.सा.-2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर पंचमसिंह उइके (अ.सा.-3), प्रीतमसिंह (अ.सा.-4) एवं विवेचक अनिल शर्मा (अ.सा.-5) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

9 अनिल शर्मा (अ.सा.-5) ने न्यायालयीन परीक्षण में टेलीफोन पर मुखबिर से सूचना प्राप्त होना एवं रोजनामचा सान्हा में रवानगी दर्ज करने के उपरांत एएसआई पंचमसिंह उइके को सूचना से अवगत कराया जाना बताया है। उसके पश्चात बस स्टैंड मौके पर पहुंचना एवं अभियुक्त रूपेश शर्मा को हाथ में बंका लेकर लोगों को डराते धमकाते देखे जाने पर रहागीर साक्षी भानू एवं बंटी तथा हमराह स्टाफ की मदद से उसे पकड़ा जाना बताया है। अभियुक्त से बंका जप्त कर टेप से उसकी नापजोप करना, सीलबंद करना एवं तत्पश्चात थाना आकर रोजनामचा सान्हा में वापसी दर्ज करने के उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। पंचमसिंह उइके (अ.सा.-3) एवं प्रीतम सिंह (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि थाने पर सूचना प्राप्त होने पर वे हमराह स्टाफ गये थे। बस स्टैंड मौके पर अभियुक्त रूपेश हाथ में छुरा लेकर लोगों को डरा रहा था।

10 अनिल शर्मा (अ.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय पंचमसिंह उइके उसके वरिष्ठ अधिकारी थे। सूचना किस व्यक्ति ने दिया था यह पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि मुखबिर ने दी थी जिनकी जानकारी नहीं दी जाती है। जप्ती पत्रक पर नमूना सील नहीं लगाया गया है जबकि विधिवत सील लगायी जानी चाहिए। साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की सूचना फोन पर प्राप्त होने का कोई उल्लेख नहीं है। स्वतः कहा कि इसलिए उल्लेख नहीं किया गया क्योंकि तत्कालिन एचसीएम को जो सूचना प्राप्त हुई थी उसका विधिवत उल्लेख रोजनामचा रवानगी सान्हा में किया गया था। फोन पर सूचना प्राप्त होने के उपरांत एचसीएम गोविंद कोलेकर को उससे अवगत कराया गया। रवानगी और वापसी इसलिए उनके द्वारा दर्ज की गयी थी लेकिन सूचना उसे ही प्राप्त हुई थी।

11 पंचमसिंह उइके (अ.सा.-3) एवं प्रीतम सिंह (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि थाने पर फोन पर सूचना किसे प्राप्त हुई थी इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण ने बचाव अधिवक्ता के द्वारा सुझाव दिये जाने पर यह सही होना बताया है कि उनके द्वारा यह बात कि बस स्टैंड में पहुंचने पर अभियुक्त छुरा लेकर लोगों को डरा रहा था और घेराबंदी करके उसे पकड़ा गया था, यह बात उनके पुलिस बयान में लेख नहीं है। साक्षीगण ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि अभियुक्त से जप्तशुदा आयुध पर नमूना सील या उसे मौके पर सीलबंद करने की कोई भी कार्यवाही उनके समक्ष नहीं हुई थी।

12 प्रकरण में साक्षी पंचमसिंह उइके एवं प्रीतम सिंह ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि थाने पर सूचना प्राप्त होने पर वे सूचना की तस्दीक हेतु मौके पर गये थे। जबकि विवेचक साक्षी अनिल शर्मा ने यह बताया है कि थाने पर सूचना प्राप्त होने पर उसके द्वारा पूर्व से ही कस्बा भ्रमण हेतु रवानाशुदा आरक्षक प्रीतम एवं एएसआई पंचमसिंह उइके को सूचना से अवगत कराया गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी पंचमसिंह उइके (अ.सा.-3) एवं प्रीतम सिंह (अ.सा.-4) ने अपने पुलिस कथनों से भिन्न कथन मुख्य परीक्षण किया जाना स्वीकार किया है। साथ ही प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि फोन पर सूचना किसे प्राप्त हुई थी इस बात की भी उन्हें जानकारी नहीं है। जबकि अनिल शर्मा ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसके द्वारा पंचमसिंह उइके एवं प्रीतमसिंह को सूचना से अवगत कराया गया था। इसके अलावा साक्षी पंचम सिंह उइके एवं प्रीतम सिंह ने अपने कथनों में हमराह स्टाफ के साथ मौके पर जाना बताया है तथा मौके के गवाहों के संबंध में साक्षियों ने कोई भी कथन नहीं किये है कि उन्हें साथ ले जाया गया था या फिर गवाह मौके पर ही मिले थे। जबकि विवेचक अनिल शर्मा ने यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तब रहागीर गवाहों को बुलाकर उनके एवं स्टाफ की मदद से अभियुक्त को पकड़ा था। पुलिस साक्षी पंचम सिंह उइके एवं प्रीतम सिंह ने अपने समक्ष किसी भी प्रकार की अभियुक्त से जप्ती एवं जप्ती प्रपत्र एवं गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार करने के संबंध में कोई भी जानकारी न होना बताया है।

13 विवेचक साक्षी अनिल शर्मा (अ.सा.-5) तथा पुलिस साक्षी पंचम सिंह उइके (अ.सा.-3) एवं प्रीतम सिंह (अ.सा.-4) के कथनों में तात्त्विक विरोधाभास है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) में नमूना सील भी अंकित नहीं है। साथ ही जप्ती पत्रक के अवलोकन से भी यह प्रकट नहीं हो रहा है कि जप्तशुदा आयुध की नाप किस चीज से की गयी थी। इसके अलावा रोजनामचा सान्हा रवानगी के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि सूचना की तस्दीक हेतु अनिल शर्मा रवाना हुए एवं वापसी सान्हा (प्रदर्श पी-6) के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि अनिल शर्मा के द्वारा पूर्व में रवानाशुदा स्टाफ पंचमसिंह

उड़के एवं प्रीतमसिंह को साथ लेकर मौके पर पहुंचा गया। जबकि इस संबंध में पंचमसिंह उड़के एवं प्रीतम ने ऐसे कोई भी कथन नहीं किये हैं कि मौके पर वे विवेचक साक्षी अनिल शर्मा के साथ पहुंचे हो या अनिल शर्मा के द्वारा उन्हें सूचना से अवगत कराकर मौके पर साथ में ले जाया गया हो। मौके पर अभियोजन कथा अनुसार पंचम सिंह उड़के एवं प्रीतम सिंह उपस्थित थे परंतु उनके समक्ष अभियुक्त से जप्ती एवं अन्य कार्यवाहियों का न किया जाना प्रकट किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा संदेहास्पद हो जाती है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कथित आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।

14 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 13.10.2015 को समय 10:20 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का धारदार बका जिसकी लंबाई 1 फिट 7 इंच, चौड़ाई 3 इंच 1 सेमी. को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त रूपेश शर्मा को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

15 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे का बका अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

16 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437-ए द.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

17 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)